भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 2223

04 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

;euk {k= e dVkrh

2223. Jh jkgy je'k 'koy%
Jh Hkrgfj egrkc%

क्या vkoklu vkj 'kgjh dk;Z मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास दिल्ली के मास्टर प्लान के 'ओ' जोन में अवैध बस्तियों और निर्माण के नियमितीकरण के लिए यमुना क्षेत्र में कटौती का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कई पर्यावरणविदों ने ऐसे प्रस्ताव को विनाशकारी कहा है चूंकि यह नदी पारिस्थितिकी के साथ छेड़छाड़ होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने जोन 'ओ' की सीमा को फिर से परिभाषित करने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 11क के तहत दिनांक 28.09.2013 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था और सुझाव/ टिप्पणियां प्राप्त की हैं। तथापि, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने दिनांक 28.10.2013 के अपने आदेश में दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे न्यायाधिकरण के विशिष्ट आदेश के बिना दिनांक 28.09.2013 की अधिसूचना पर कार्रवाई न करें । मामला निर्णयाधीन है।